संख्या:133/2015/5007/26-3-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 शासन
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 नवंबर, 2015

विषय: पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमिततायें करने वाले शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने तथा मान्यता निरस्त कराने की प्रक्रिया के संबंध में

महोदय,

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमिततायें करने वाले शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने तथा मान्यता निरस्त कराने की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2312/26-3-2014, दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के द्वारा निर्गत किये गये थे।

2- उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन में कतिपय कठिनाईयों के संज्ञान में आने पर उनके निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में निम्न संशोधन किया जा रहा है:-

i. निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित 07 सदस्यीय समिति में से यदि न्यूनतम 05 सदस्य समिति की बैठक हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होते हैं, तो समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है। यदि 05 सदस्य से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, तो बैठक स्थगित करते हुए नवीन तिथि पर बैठक आहूत की जायेगी।

ii. किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता संज्ञान में आने पर संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा निदेशक अपने स्तर से उक्त अनियमितताओं की जांच करा सकते हैं तथा निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय समिति को शिक्षण संस्थान को काली सूची में डालने के संबंध में विचारार्थ संदर्भित कर सकते हैं।

iii. निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के विरूद्ध शिक्षण संस्था द्वारा अपील निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक माह के अंदर शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के कार्यालय में की जा सकती है।

iv. अपील के निस्तारण हेतु **शासन स्तर पर** निम्नवत् **अंतर्विभागीय अपीलीय समिति** गठित की जाती है:-

1	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से अन्यून हो	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से अन्यून हो	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से अन्यून हो	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उनके द्वारा नामित कोई	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से अन्यून हो	
6	कुलसचिव, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय	सदस्य
7	तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, उ0प्र0	सदस्य
8	निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0	सदस्य
9	विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य सचिव

समिति आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य विभाग अथवा विशेषज्ञ को विशेष आमंत्री के रूप में संबद्ध कर सकती है।

v. अंतर्विभागीय अपीलीय समिति की बैठक कम-से-कम 05 सदस्यों के उपस्थित रहने पर आहूत की जा सकती है।

vi. अंतर्विभागीय अपीलीय समिति संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी तथा आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराकर जांच रिपोर्ट तथा पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगी।

vii. अंतर्विभागीय अपीलीय समिति निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये गये दण्डादेश को निरस्त/संशोधित कर सकती है।

3- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमितता करने वाले शिक्षण संस्थाओं को भी श्काली सूचीश् में डालने तथा उनकी संबद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। इस प्रयोजनार्थ समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2312/26-3-2014, दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय समिति को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित शिक्षण संस्थाओं को काली सूची में डालने हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना से संबंधित शिक्षण संस्थाओं पर भी प्रभावी होगी।

4- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या:133/5007/26-3-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0
3. निदेशक, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
5. कुलसचिव, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (पूर्व नाम-यू0पी0टी0यू0), लखनऊ
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश
9. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।